प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट
अता.प्र.क्र. 4900 [27/3/2013] परिशिष्ट - 49

परिशिष्ट उन्चास

प्रश्न सं. [क्र. 4900]

संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल संभाग भोपाल
शा.सम्राट अशोक मा.शा.परिसर टी.टी. नगर भोपाल म.प्र.
0755-2778106 फैक्स नम्बर: 0755-2775426 ईमेल: jddpibho-mp@nic.in

क्रमांक / शिका.-जांच / निलम्बन / नु.लि. / 12-13 / 761 — भोपाल, दिनांक 19-2-13

--आदेश--

श्री लेखीराम कुशवाह, सहायक ग्रेड-3 संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, भोपाल संभाग भोपाल को कार्य आवंटन आदेश कमांक 4092 दिनांक 11.12.2012 द्वारा विधान सभा, बैठक एवं स्थापना-3 कक्ष का प्रभार कार्य करने हेतु सौपा गया, श्री कुशवाह द्वारा बैठक एवं स्थापना कक्ष का कार्यभार ले कर कार्य कर रहे हैं, किन्तु दिनांक 12.2.2013 को लिखित में विधान सभा कक्ष का कार्य करने से इंकार किया गया है। आपका यह कृत्य म.प्र. सिविल आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत होकर नियमो का स्पष्ट उल्लंधन एवं अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है।

अतः श्री लेखीराम कुशवाह, सहायक ग्रेड-3 को उक्त अनुशासनहीनता के कारण म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 1966 के नियम 9 (1) के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

निलम्बन अवधि में मूलभूत नियम 53 के अन्तर्गत श्री लेखीराम कुशवाह, सहायक ग्रेड-3 को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी तथा निलम्बन अवधि में इनका मुख्यालय शासकीय बालक उ.मा.वि.बैरसिया जिला भोपाल नियत किया जाता है।

संयुक्त संचालक लोक शिक्षण
भोपाल संभाग भोपाल

पृ.क्रमांक / शिका.-जाँच / निलम्बन / नु.लि. / 12-13 / 762 — भोपाल, दिनांक 19-2-13

प्रतिलिपि:-

1. संचालक, लोक शिक्षण, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिला शिक्षा अधिकारी जिला भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. प्राचार्य, शासकीय बालक उ.मा.वि. बैरसिया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. संबंधित श्री लेखी राम कुशवाह, सहा.ग्रेड-3 कार्यालयीन स्थानीय की ओर पालनार्थ।
5. [illegible]

संयुक्त संचालक लोक शिक्षण
भोपाल संभाग भोपाल

अनुभाग अधिकारी,
मध्य प्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग
(कक्ष - 4)

अता. प्र. क्र. 4900

पारि शिष्ट - 5

कार्यालय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, भोपाल संभाग भोपाल

शा.सम्राट अशोक ... र भोपाल म.प्र.
कार्यालय दूरभाष 0755-2778106 ... 126 ईमेल jddpibho-mp@nic.in

क्रमांक/शिका./जांच/निलम्बन/मु.लि./12/20 भोपाल, दिनांक 16-8-13

//आदेश//

श्री लेखीराम कुशवाह, सहायक ग्रेड-3 संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, भोपाल संभाग भोपाल को कार्यालय आदेश कमांक/शिका.जांच/निल./मु.लि./12-13/761 भोपाल दिनांक 19.02.13 द्वारा कार्य आवंटन आदेश कमांक 4092 दिनांक 11.12.12 द्वारा विधानसभा बैठक एवं स्थापना-3 कक्ष का कार्य करने से इंकार किया जो कि म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत होने के कारण म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 1966 के नियम 9 (1) के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर निलम्बन अवधि मे उनका मुख्यालय शासकीय बालक उ.मा.वि. बैरसिया जिला भोपाल नियम किया गया।

श्री लेखीराम कुशवाह, सहायक ग्रेड-3 को निलम्बन उपरान्त म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 14 के अन्तर्गत विभागीय जांच किया जाना प्रस्तावित किया जाकर आरोप पत्र जारी करते हुए आरोप पत्र का जावाब 21 दिवस में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। श्री कुशवाह द्वारा आरोप पत्र दिनांक 12.03.13 को प्राप्त किया तथा आरोप पत्र का उत्तर दिनांक 28.03.13 को इस कार्यालय में प्रस्तुत किया। आरोप पत्र में लगाये गये आरोपों का उत्तर तथा प्रस्तुत उत्तर का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

1. आरोप कमांक-1

श्री लेखीराम कुशवाह, निलम्बित सहायक ग्रेड-3,कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, भोपाल संभाग भोपाल में पदस्थ रहते हुए विधानसभा कक्ष का कार्य ग्रहण न करते हुए प्रभार लेने से इंकार किया।

आरोप कमांक-1 का संक्षिप्त उत्तर

आरोप कमांक-1 के संबंध में कंडिका 2 में लगाये गये आरोप पर आपत्ति करते हुए कार्यालयीन कार्य प्रणाली के संबंध में अवगत कराया गया यही स्थिति कंडिका 3 की है। कंडिका 4 में आरोप कमांक 1 के संबंध में श्री कुशवाह द्वारा दो कक्षों के प्रभार ले लिए जाने संबंधी स्वीकारोक्ति की है जिससे स्पष्ट है कि उनके द्वारा स्वीकार किया है कि विधानसभा का कार्यभार ग्रहण नही किया। कंडिका 5,6,7,8, एवं 9 (अ,ब,स) में कार्यालयीन कार्य प्रणाली का सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा दिए गये निर्देश/आदेशों के अनुरूप न होने का उल्लेख किया है।

2. आरोप कमांक-2

श्री लेखीराम कुशवाह, निलम्बित सहायक ग्रेड-3,कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, भोपाल संभाग भोपाल द्वारा विधानसभा कार्य में लापरवाही बरतते हुए विधानसभा कक्ष का कार्य करने से मना किया गया तथा वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करना पाया गया।

आरोप कमांक-2 का संक्षिप्त उत्तर

आरोप कमांक-2 के संबंध में अपचारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत उत्तर कंडिका 4 में स्वीकार किया गया है कि उनके द्वारा विधानसभा कक्ष का कार्यभार ग्रहण नही किया गया। कंडिका 10,11,12,13,14,15,16(क,ख,ग,घ,ड),17,18,19,20,21,22,23,24,25,26(क,ख,ग,घ,ड,च,छ,ज,झ,त्र),27 में कार्यालयीन कर्मचारियों के कार्यप्रणाली एवं उनका वेतनमान में गड़बड़ी संबंधी उल्लेख किया है तथा दिए गये दायित्वों का पालन करने संबंधी उल्लेख किया है तथा कार्यालयीन कर्मचारियों के विरुद्ध व्यक्तिगत रुप से शिकायत की है।

उपरोक्त प्रस्तुत उत्तर का समग्र परीक्षण करने पर पाया गया कि श्री लेखीराम कुशवाह, सहायक ग्रेड-3 द्वारा आरोप कमांक 1 एवं 2 का ठीक ठीक सार उत्तर प्रस्तुत न करने हा...

अनुभाग अधिकारी,
मध्य प्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग
(मंत्रा - 4)

अपचारी कर्मचारी श्री लेखीराम कुशवाह, सहायक ग्रेड-3 द्वारा दिनांक 31.03.13, 01.04.13, 05.04.13, 13.04.13, 24.04.13, 28.05.13 को महामहिम श्री प्रणव मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति, महामहिम श्री रामनरेश यादव म.प्र. के राज्यपाल, माननीय मुख्य सचिव, अध्यक्ष मानव अधिकार आयोग महानिदेशक आर्थिक अपराध एवं अन्वेषण ब्यूरो को सम्बोधित आवेदन पत्रों कि प्रतिलिपि इस कार्यालय को प्राप्त हुई जिसमें अपचारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद दिनांक 26.03.13 का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करते हुए कंडिकावार कार्यालयीन कार्य प्रकिया पर आपत्ति उठाई जाकर व्यक्तिगत नामों का उल्लेख करते हुए कार्यालयीन कार्य प्रकिया को दोष पूर्ण ठहराया है। आवेदन में वास्तव में अपचारी कर्मचारी द्वारा क्या कार्यवाही चाही गई है का भी उल्लेख नही किया एवं कार्यालय आरोप पत्र का उत्तर इन पत्रों में प्रस्तुत नहीं किया। अनावश्यक रूप से कार्यालय प्रमुख एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारियों पर आरोप प्रत्यारोप लगायें।

कार्यालयीन पत्र कमांक 1552 दिनांक 24.05.13 द्वारा निलम्बन अवधि में निर्धारित मुख्यालय पर निवास के संबंध में जानकारी मांगी गई। जिसका उत्तर अपचारी कर्मचारी अपने पत्र दिनांक 28.05.13 के द्वारा दिया गया जिसमें दिनांक 26.03.13 को दिये गये उत्तर का ही उल्लेख करते हुए जवाब प्रस्तुत करने का पुनः उल्लेख किया परन्तु श्री कुशवाह द्वारा आरोप पत्र का उत्तर फिर भी सीधे प्रस्तुत न करते हुए विभिन्न कंडिकाओं द्वारा पूर्व में प्रस्तुत आवेदनों के आधार पर लगाये आरोप प्रत्यारोपों का उल्लेख करते हुए विभिन्न कार्यालयीन नोट शीट एवं आदेशों को प्रति प्रस्तुत की। परन्तु मुख्यालय में निवास का पता आज पर्यन्त उपलब्ध नही कराया।

श्री लेखीराम कुशवाह, निलम्बित सहायक ग्रेड-3 द्वारा संयुक्त संचालक महोदय को सम्बोधित पत्र मे आर्थिक परेशानियों के कारण जीवन निर्वाह भत्ते की राशि 75 प्रतिशत करने एवं वर्तमान मुख्यालय मे परिवर्तन कर भोपाल शहर की किसी संस्था में मुख्यालय बनाने को प्रस्तुत पत्रों/आवेदनों का सुक्ष्म परीक्षण करने पर प्रस्तुत उत्तर समाधान कारक नही पाये जाने से म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3, के उपनियम 1,2,3 का सीधा उलंघन का दोषी पाये जाने के कारण म.प्र. सिविल सेवा वर्गीकरण (नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अन्तर्गत एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जाती है तथा निलम्बन अवधि को समस्त प्रयोजनों के लिए कर्तव्य अवधि मान्य करते हुए, निलम्बन से बहाल करते हुए शासकीय उ.मा.वि. हर्राखेड़ा, जिला भोपाल में पदस्थ किया जाकर प्रकरण समाप्त करने का निर्णय लिया जाता है।

संयुक्त संचालक लोक शिक्षण
भोपाल संभाग भोपाल

पृ.कमांक/शिका.-जाँच/निलम्बन/मु.लि./13/2013/1884   भोपाल, दिनांक/6-8-13

प्रतिलिपिः-

1. संचालक, लोक शिक्षण, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिला शिक्षा अधिकारी जिला भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. प्राचार्य, शासकीय बालक उ.मा.वि. बैरसिया भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि. हर्राखेड़ा भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. संबंधित श्री लेखी राम कुशवाह, सहा.ग्रेड-3 शासकीय बालक उ.मा.वि. बैरसिया भोपाल की ओर पालनार्थ।

संयुक्त संचालक लोक शिक्षण
भोपाल संभाग भोपाल